न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 76/2016 निर्णय दिनांक :– 05.04.19

उनवानी :–

1. सत्यप्रकाश पुत्र प्रेमचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
2. ललित पुत्र प्रेमचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
3. रेखा पुत्री प्रेमचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
4. खानकवंर बेवा प्रेमचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)

–वादीगण–

बनाम

1. बदरीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
2. गोविन्द पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
3. सम्पत पुत्री रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
4. निर्मला पुत्री रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
5. रामगोपाल पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
6. महावीर पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
7. रूकमणी पुत्री दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक(राज0)
8. राधा पुत्री दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
9. तहसीलदार महोदय, दनी जिला टोंक राजस्थान

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री भगवान सिंह सोलंकी
श्री आलोक शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 5
श्री वी. के. जैन द्वितिय
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व 6 ता 8

दावा दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा खातेदारी

संशोधित आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के दादा/ससुर,प्रतिवादी सं. 1, 6, 7, 8 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4

के दादा दुर्गालाल पुत्र ऊँकार ब्राहम्ण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर साबिक 2381 रकबा 1 बीघा 13 बीस्वा, खसरा नं. 2484 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नं. 8483 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2482 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 2483 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3850 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक स्थित थी। उक्त वर्णित आराजीयात के सेटलमेंट के बाद नये खसरा नम्बर 3355 रकबा 0.38 है0, खसरा नं. 3879 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 3491 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 4672 रकबा 0.53 है0, खसरा नं. 5006 रकबा 0.96 है0, खसरा नं. 6214/4668 रकबा 0.76 है0 बना दिये गये है। वादीगण के पिता/ससुर दुर्गालाल की मृत्यु हो चुकी है जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:—वादीगण के दादा/ससुर दुर्गालाल की मृत्यु बाद प्रतिवादी सं. 1 ने पंचायत से मिलीभगत कर आराजी खसरा नम्बर 3355, 3491 व 3879 जिसके साबिक खसरा नं. 2381, 2483 व 2502 का नामांतकरण अपने अकेले के नाम स्वीकार करा लिया जबकि उक्त नामांतकरण स्वीकार किये जाने का पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा पंचायत ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर उक्त नामांतकरण को स्वीकार किया है इस संबंध मे गिरदावर ने भी नामांतकरण में रिपोर्ट की है कि सेटलमेंट की गलती दुरूस्ती करने का अधिकार पंचायत को नही है। उक्त भूमि मे वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण 2 ता 8 का भी हिस्सा है। इसी प्रकार साबिक खसरा नं. 2484, 2482, 3850 जिसके हाल खसना नं. 4672, 5006, 6214/4668 को गलत रूप से राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता रामेश्वरप्रसाद, प्रतिवादी सं. 5 रामगोपाल, प्रतिवादी सं. 6 महावीर एवं वादीगण के पिता प्रेमचन्द के नाम अंकित कर दी जबकि उक्त भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 बदरीलाल एवं प्रतिवादी सं. 7 व 8 का नाम भी वारिसान होने से अंकित होना चाहिये था। वादीगण का उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मे 1/7 हिस्सा है तथा अपने हिस्से अनुसार ही वादीगण अपनी भूमि को काश्त कर रहे है तथा काबिज है ऐसी स्थिति मे पूर्व मे जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम गलत रूप से नामांतकरण भरा है उसको निरस्त करते हुये राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 8 को समान रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है जिसके लिये यह वाद प्रस्तुत है। वादीगण के पिता प्रेमचन्द की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस वादीगण है तथा रामेश्वरप्रसाद की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी 2 ता 4 है तथा कल्याणी का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण है।

अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने जवाब प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश किया जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2164 रकबा रकबा 11 बिस्वा खरली के ढाबे, खसरा नम्बर 2165 रकबा 1 बिस्वा डोल, खसरा नम्बर 2178 रकबा 14 बिस्वा

आगरवाली, खसरा नम्बर 3545 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा माल दोयम, खसरा नम्बर 1843 रकबा 4 बिस्वा बंजड़ डोल मेड, खसरा नम्बर 1844 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा सिरोही के रास्ते पर बारानी अव्वल कुल किता–6, कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम दूनी भूरा पुत्र ऊँकार की खातेदारी की थी जिसका पट्टा भी ठिकाना दूनी द्वारा दिनांक 29.09.1950 को भूरा पुत्र ऊँकार के पक्ष मे जारी किया गया था । भूरा व दुर्गालाल दोनो सगे भाई थे, भूरा के कोई ओलाद नही होने के कारण भूरा ने प्रतिवादी सं. 1 को गोद ले लिया था और भूरा की मृत्यु के बाद उसकी समस्त आराजीयात एवं अन्य सम्पत्ति का नामांतकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम खुल गया था जो नामांतकरण सं. 42 दिनांक 20.03.1964 को पंचायत द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के हक मे खोला गया था एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण 5 व 6 व प्रेमचन्द व रामेश्वर की एवं उनके पिता की सहमति से खोले गये थे।

वर्ष 1950 के समय ग्राम दूनी मे सेटलमेंट हुआ था और सेटलमेंट के बाद नये नम्बर 2381 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2484 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2483 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2482 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2502 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3850,3851 दोनो का रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा बना दिये गये थे। इन खसरा नम्बर मे से 2381, 2384, 2783, 2482 व 2502 कुल रकबा 3 बीघा भूमि का नामांतकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम खोल दिया गया इस तरह प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूरा की भूमि मे 5 बीघा 4 बीस्वा भूमि कम खाते मे लगायी गई और इस भूमि को वादीगण के पिता/पति प्रेमचन्द, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता रामेश्वर, प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम लगा दी गई। साबिक खसरा नम्बर 1844 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा सिरोही के रास्ते वाली जमीन के नये नम्बर 2158 रकबा 4 बिस्वा एवं 2159 रकबा 3 बीघा 8 बीस्वा बना दिये गये और सम्वत 2046 मे हुये सेटलमेंट मे इसके नये नम्बर 2821 रकबा 1.05 है0 बना दिये गये। उक्त भूमि को रामेश्वर, रामगोपाल, प्रेमचन्द, महावीर कुमार ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र लावा पुत्र धन्ना कीर व मोती पुत्र लावा कीर को बेच दिया इस तरह प्रतिवादी सं. 1 के पिता की खातेदारी की भूमि वादीगण के पिता प्रेमचन्द, रामेश्वर, रामगोपाल व महावीर कुमार ने गलत रूप से स्वंय के नाम लगाकर अन्य दिगर व्यक्ति को बेच दी।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज दुर्गालाल व भूरा मे काफी प्रेम था। साबिक खसरा नम्बर 3545 माल की जमीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 1844 सिरोही के रास्ते वाली जमीन रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूरा की खातेदारी मे थी तथा साबिक खसरा नम्बर 2381 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि भूरा के नाम नही थी लेकिन कब्जा भूरा पुत्र ऊँकार के नाम था । चूंकि प्रतिवादी सं. 1 को 8 बीघा भूमि

साबिक खसरा नं. 159/2 मे आवंटन हो गया था जिसके नये नम्बर 249 रकबा 2.06 है0 है इस कारण प्रतिवादी सं. 1 ने साबिक खसरा नम्बर 2381 के बदले साबिक खसरा नम्बर 2159, 2150, 2158 जो सम्वत 2014 के सेटलमेंट के पूर्व के खसरा नम्बर 1844 से बने है एवं साबिक खसरा नम्बर 3850, 3851 जो सम्वत 2014 क सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 3545 से बने है, को राजीखुशी से दुर्गालाल को दे दी थी और दुर्गालाल के मरने के बाद राजी खुशी प्रेमचन्द, रामगोपाल, रामेश्वर एवं महावीर के नाम लगा दी थी तथा इन लोगो द्वारा खसना नम्बर 2381 को राजी खुशी प्रतिवादी सं. 1 के नाम लगा दी थी।

वादीगण ने अपने वाद पत्र मे जो नामांतकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजी खुशी पंचायत द्वारा भरा गया है उसको गलत भरना बताया है जो बिल्कुल गलत है। उक्त नामांतकरण सही रूप से भरा गया है। उक्त नामांतकरण को भरें हुये लगभग 51 वर्ष हो चुके है। उक्त 51 वर्षो मे वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही विवादित खसरा नम्बरान बाबत नही की गई और न ही उक्त नामांतकरण की कोई अपील की गई। आज भी राजीनामा के अनुसार पक्षकारान अपने बंटवारे के अनुसार काबिज है।

वर्तमान मे हाल खसरा नम्बर 5006 रकबा 0.96 है0 पर वादीगण का कब्जा है और खसरा नम्बर 4672 रकबा 0.53 है0 पर प्रतिवादी सं. 5 का कब्जा है और खसरा नम्बर 4668 रकबा 1.31 है0 पर प्रतिवादीगण 2 ता 4 व 6 का कब्जा है तथा प्रतिवादीगण 7 व 8 की शादी हो चुकी है, वह वर्तमान मे अपने ससुराल रहती है इनका किसी भी विवादित जमीन पर कब्जा नही है।

प्रतिवादी सं. 5 ने प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र को राजी खुशी गोद ले लिया है तथा प्रतिवादी सं. 7 रूकमणी का पुत्र सुरेन्द्र भंडारी पुत्र गोतम भंडारी प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र को गोद लेने के कारण नाराज हो गया और उसने उसने वादीगण को बहला फुसलाकर यह झूठा दावा प्रतिवादी सं. 1 को जेरबार व परेशान करने क नियत से पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 5 के जवाबानुसार साबिक खसरा नम्बर 2164 रकबा 11 बिस्वा खरली के ढाबे, खसरा नम्बर 2165 रकबा 1 बिस्वा डोल, खसरा नम्बर 2178 रकबा 14 बिस्वा आगरवाली, खसरा नम्बर 3545 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा माल दोयम, खसरा नम्बर 1843 रकबा 4 बिस्वा बंजड़ डोल मेर, खसरा नम्बर 1844 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा सिरोही के रास्ते पर बारानी अव्वल कुल किता–6, कुल रकबा 8 बीघा 4 बीस्वा वाके ग्राम दूनी भुरा पुत्र ऊँकार की खातेदारी की थी जिसका पट्टा भी ठिकाना दूनी द्वारा दिनांक 29.09.1950 को भूरा पुत्र ऊँकार के पक्ष मे जारी किया गया था । भूरा

एवं दुर्गालाल दोनो सगे भाई थे भूरा के कोई ओलाद नही होने के कारण भूरा ने प्रतिवादी सं. 1 को गोद ले लिया था । भूरा की मृत्यु के बाद उसकी समस्त भूमि एवं अन्य सम्पत्ति का नामांतकरण प्रतिवादी सं. 5 व अन्य पक्षकारान की राजी खुशी से प्रतिवादी सं. 1 के नाम खोल दिया था जो नामांतकरण सं. 42 दिनांक 20.03.1964 को पंचायत द्वारा खोल दिया गया था तथा प्रतिवादी सं. 5, वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 कि पिता रामेश्वर व प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के नाम भी उसी दिन राजी खुशी नामांतकरण खोल दिया गया था।

वर्ष 1950 के समय ग्राम दूनी मे सेटलमेंट हुआ था ओर सेटलमेंट के बाद नये नम्बर 2381 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 2484 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 2483 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2482 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2502 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3850, 3851 दोनो का रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा बना दिये गये थे। इन खसरा नम्बर मे से 2381, 2384, 2483, 2482 व 2502 कुल रकबा 3 बीघा भूमि का नामांतकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम खोल दिया गया इस तरह प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूरा की भूमि मे से 5 बीघा 4 बीस्वा भूमि कम खाते मे लगायी गई और उक्त भूमि को प्रेमचन्द, रामेश्वर व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम लगा दिया गया। साबिक खसरा नम्बर 1844 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जिसके नये नम्बर 2158 रकबा 4 बिस्वा व 2159 रकबा 3 बीघा व 8 बिस्वा बना दिये गये है और सम्वत 2046 मे हुये सेटलमेंट मे इसके नये नम्बर 2821 रकबा 1.05 है0 बना दिये गये है। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 5, रामेश्वर, प्रेमचन्द, महावीर कुमार ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र लावा पुत्र धन्ना कीर व मोती पुत्र लावा कीर को बेच दी इस तरह प्रति0 सं. 1 के पिता की भूमि जो राजी खुशी प्रतिवादी सं. 5 व प्रेमचन्द, रामेश्वर, महावीर कुमार के नाम लगायी गयी थी।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज दुर्गालाल व भूरा मे काफी प्रेम था। खसरा नं. 3545 माल की खातेदारी मे थी तथा साबिक खसरा नम्बर 2381 भूरा पुत्र ऊँकार के नाम था। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 को 8 बीघा भूमि साबिक खसरा नम्बर 159/2 मे आवंटन हो गई थी जिसके नये नम्बर 249 रकबा 2.06 है0 है इस कारण प्रतिवादी सं. 1 ने साबिक खसरा नम्बर 2381 के बदले साबिक खसरा नम्बर 2159, 2150, 2158 जो सम्वत 2014 के सेटलमेंट से पूर्व के खसरा नम्बर 1844 से बने है एवं साबिक खसरा नम्बर 3850, 3851 जो सम्वत 2014 के सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 3545 से बने है, को राजीखुशी से दुर्गालाल को दे दी थी और दुर्गालाल के मरने के बाद राजी खुशी प्रेमचन्द, रामगोपाल, रामेश्वर एवं महावीर के नाम लगा दी थी तथा इन लोगो द्वारा खसना नम्बर 2381 को राजी खुशी प्रतिवादी सं. 1 के नाम लगा दी थी।

वादीगण ने अपने वाद पत्र मे जो नामांतकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजी खुशी पंचायत द्वारा भरा गया है उसको गलत भरना बताया है जो बिल्कुल गलत है। उक्त नामांतकरण सही रूप से भरा गया है। उक्त नामांतकरण को भरे हुये लगभग 51 वर्ष हो चुके है। उक्त 51 वर्षो मे वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही विवादित खसरा नम्बरान बाबत नही की गई और न ही उक्त नामांतकरण की कोई अपील की गई। आज भी राजीनामा के अनुसार पक्षकारान अपने बंटवारे के अनुसार काबिज है।

वर्तमान मे हाल खसरा नम्बर 5006 रकबा 0.96 है0 पर वादीगण का कब्जा है और खसरा नम्बर 4672 रकबा 0.53 है0 पर प्रतिवादी सं. 5 का कब्जा है और खसरा नम्बर 4668 रकबा 1.31 है0 पर प्रतिवादीगण 2 ता 4 व 6 का कब्जा है तथा प्रतिवादीगण 7 व 8 की शादी हो चुकी है, वह वर्तमान मे अपने ससुराल रहती है इनका किसी भी विवादित जमीन पर कब्जा नही है।

प्रतिवादी सं. 5 ने प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र को राजी खुशी गोद ले लिया है तथा प्रतिवादी सं. 7 रूकमणी का पुत्र सुरेन्द्र भंडारी पुत्र गोतम भंडारी प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र को गोद लेने के कारण नाराज हो गया और उसने उसने वादीगण को बहला फुसलाकर यह झूठा दावा प्रतिवादी सं. 1 को जेरबार व परेशान करने क नियत से पेश किया है जो मा हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने जवाब पेश किया। तथा प्रतिवादीगण 2 ता 4 व 6 ता 8 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। पत्रावली में तनकियात कायम की जाकर सुनाई गई। अतः प्रकरण साक्ष्यवादी में नियत किया गया।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 सत्यप्रकाश पी. डब्ल्यू–2 खान कंवर, पी. डब्ल्यू–3 बजरंगलाल के पेश किये तथा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने साक्ष्य पी. डल्ल्यू–1 से पी. डल्ल्यू–3 से जिरह की तथा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू–1 बद्रीलाल पुत्र भूरालाल डी. डब्ल्यू–2 रामगोपाल पुत्र दुर्गालाल व डी. डब्ल्यू–3 रामगोपाल पुत्र भूरालाल के पेश किये। अधिवक्ता वादीगण ने साक्ष्य डी. डब्ल्यू–1 से डी. डब्ल्यू–3 से जिरह की। दोनो अधिवक्ताओ ने प्रदर्श करवाये।

अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श–1 जमाबंन्दी संम्वत 2070–73 खाता संख्या 285, प्रदर्श–2 जमाबंन्दी संम्वत 2070–73 खाता संख्या 759, प्रदर्श–3 नामान्तरकरण पंजिका ग्राम दूनी नामान्तकरण संख्या 292, प्रदर्श–4 नामान्तरकरण पंजिका ग्राम दूनी नामान्तकरण संख्या 42, प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल ग्राम दूनी, प्रदर्श–6 भू–प्रबन्ध विभाग खसरा पत्रक संम्वत 2013, प्रदर्श–7 भू–प्रबन्ध विभाग खसरा पत्रक संम्वत 2012,

प्रदर्श–8 भू–प्रबन्ध विभाग खसरा पत्रक , प्रदर्श–9 भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी बंदोबस्त, प्रदर्श–10 भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी बन्दोबस्त, पेश किये है।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जमा बंदी सम्वत 2070–73 प्रदर्श डी. डब्ल्यू 1, निर्णय ए.सी.जी.एम टोक दिनांक 20.4.2001 प्रदर्श डी. डब्ल्य ू2, तहसीदार जी को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श डी. डब्ल्यू 3, तहसीलदार जी दूनी द्वारा तहसीलदार जी को भेजी गयी रिपोर्ट प्रदर्श डी. डब्ल्यू 4, नामान्तकरण संख्या 90 प्रदर्श डी. डब्ल्यू 5, नामान्तकरण संख्या 42, प्रदर्श डी. डब्ल्यू 6, शपथ पत्र रामगोपाल प्रदर्श डी. डब्ल्यू 7, राधेश्याम शपथ पत्र प्रदर्श डी. डब्ल्यू 8, रामचन्द्र जाट शपथ पत्र प्रदर्श डी. डब्ल्यू 9, शपथ पत्र रामगोपाल शर्मा प्रदर्श डी. डब्ल्यू 10, शपथ पत्र दुर्गालाल राजोरा प्रदर्श प्रदर्श डी. डब्ल्यू 11, पंचायत दूनी का बैठक रजिस्टर की नकल प्रदर्श डी. डब्ल्यू–12, पर्चा खतौनी ग्राम दूनी ठिकाना दूनी तहसील टोडारायसिंह डब्ल्यू–13, नामान्तकरण पंजिका ग्राम दूनी दिनांक 14.10.77 डब्ल्यू–14, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श डी. डब्ल्यू–15 जांच रिपोर्ट पुलिस थाना रिपार्ट पी. 16 पेश की है। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जो निर्णय ए.सी.जी.एम टोंक प्रदर्श 2 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गयी है,

अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी ने लिखित बहस पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

लिखित बहस वादीगण की ओर से – वादीगण के दादा ससुर दुर्गालाल पुत्र औंकार की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी में स्थित है। जिसका विवरण वाद पत्र के चरण नम्बर 1 में है तथा वादीगण के दादा/ससुर दुर्गालाल एवं वादीगण के पिता/पति प्रेमचन्द का सजरा वाद पत्र के चरण नं. 3 मे अंकित है। वादीगण स्वर्गीय प्रेमचन्द के वारिसान है।

स्व0 दुर्गालाल जी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 नें पंचायत से मिलीभगत करके गलत रूप से वाद पत्र के चरण नं0 4 मे अंकित भूमि को अपने नाम लगवा लिया जबकि उक्त नामांतकरण को स्वीकार करने का पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नही था। गिरदावर द्वारा अंकित रिपोर्ट का अवलोकन करने पर उक्त नामांतकरण को पंचायत द्वारा अस्वीकार करना चाहिये था। उक्त भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 8 को सम्मन हिस्सा था इसी प्रकार वाद पत्र के चरण नं0 5 मे अंकित भूमि मे भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी का हिस्सा बराबर–बराबर है। उक्त भूमि को भी गलत रूप से प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पिता रामेश्वर प्रसाद, प्रतिवादी सं. 5 रामगोपाल, प्रतिवादी संख्या 6 महावीर एवं वादीगण के पिता प्रेमचन्द के नाम अंकित कर दी जबकि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण 7 व 8 का भी हिस्सा है। वादी वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/7 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण 2 ता 8 का भी उक्त भूमि

में हिस्सा होने से सजरा के अनुसार स्व0 दुर्गालाल जी के वारिसान का समान 1/7–1/7 हिस्सा है। प्रतिवादीगण 1 ता 8 की ओर से जो जवाब दावा पेश हुआ है उसमें वादीगण के दावे में अंकित तथ्यो को स्वीकार किया है तथा वाद वादीगण को डिक्री करने का निवेदन किया है जिसमें भी वादीगण का वाद सिद्ध हो जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को स्व. भूरालाल जी ने कभी भी गोद नही लिया है, ऐसा कोई गोदनाम भी पेश नहीं हुआ है। यदि भूरालाल जी की कोई सम्पति भी थी तो स्व. दुर्गालाल जी उसके सगा भाई होने के कारण एवं एक मात्र उत्तराधिकारी होने से उसकी भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी था एवं स्व. दुर्गालाल जी की सम्तति मे सभी उसके वारिसान को बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम खोला गया नामांतकरण गलत एवं अवैध है, यह बिना किसी आधार व दस्तावेज के खोला गया नामांतकरण गलत एवं अवैध है, यह बिना किसी आधार व दस्तावेज के खोला गया है जिसमे किसी भी पक्षकार की सहमति नही है। भूरा लाऔलाद फौत होने पर उसकी आराजी भूमि सही रूप से उसके सगे भाई स्व0 दुर्गालाल जी के नाम आई है। यदि सेटलमेंट के दोरान उक्त भूमि दुर्गालाल के नाम लग भी गई है तो उक्त भूमि को ग्राम पंचायत दूनी द्वारा नामांतकरण स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूमि लगाने का कोई विधिक अधिकार नही है, ग्राम पंचायत ने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर नामांतकरण स्वीकार किया है तथा नामांतकरण सं. 42 पर अंकित गिरदावर की टिप्पणी को नजर अंदाज कर भारी त्रुटि की है।

विवादित आराजीयात ग्राम पंचायत दूनी द्वारा नामांतकरण स्वीकार करने से पूर्व स्व0 दुर्गालाल जी के नाम थी जिसके बाबत दो नामांतकरण ग्राम पंचायत दूनी द्वारा तस्दीक किये गये है जिसमे नामांतकरण सं. 42 प्रतिवादी सं. 1 के नाम एवं नामांतकरण सं. 90 वादीगण के पिता/पति एवं प्रतिवादीगण जो दुर्गालाल जी के पुत्र है उनके नाम भरे गये है जबकि दुर्गालाल जी की लडकीया भी जीवीत थी जिनके नाम नामांतकरण मे अंकित नही किया गया है। इसके साथ ही दुर्गालाल जी का वारिस नामांतकरण सं. 42 मे अकेला प्रतिवादी सं. 1 बदरीलाल को बनाया गया है जो गलत है तथा नामांतकरण सं. 90 मे शेष पुत्रो को उत्तराधिकारी बताते हुये नामांतकरण भरा गया है ऐसी स्थिति मे दोनो ही नामांतकरण त्रुटि पूर्ण है क्योंकि स्व0 दुर्गालाल जी की भूमि मे सभी उत्तराधिकारियो का समान रूप से अधिकार होने से प्रत्येक डिक्री किया जावे। वादीगण का दावा उसकी साक्ष्य एवं दस्तावेजात से भी साबित है।

लिखित बहस प्रतिवादीगण संख्या–1– वादीगण ने उक दावा घोषणा खातेदारी के विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 1 इस बात का पेश किया कि उनके दादा ससुर व प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7, 8 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के दादा दुर्गालाल पुत्र औंकार ब्राहम्ण की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 2381, 2484, 2483, 2482, 2502,

3850, ग्राम दूनी मे स्थित थी जिसके नए नम्बर 3555, 3879, 3491, 4772, 5006, 62614/4668 बना दिए गए है। प्रतिवादी संख्या 1 ने पंचायत से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 3355, 3449, 3879, जिसके साबिक खसरा नम्बर 2381, 2483, 2502 है का नामान्तकरण स्वयं के नाम भरवा लिया उक्त नामान्तकरण स्वीकार किए जाने का पंचायत को कोई अधिकार नही था इसी प्रकार खसरा नम्बर 2484, 2482, 3850 जिसके हाल खसरा नम्बर 4672, 5006, 6214/4668 को गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता रामेश्वरप्रसाद प्रतिवादी नम्बर 5 रामगोपाल, प्रतिवादी नम्बर 6 महावीर व वादीगण के पिता प्रेमचन्द के नाम अंकित कर दी गई। जबकि उक्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 का नाम भी वारिस होने से अंकित नही हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण आाराजीयात में वादीगण का 1/7 हिस्सा है आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 5 ने अलग–अलग न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जवाब दावा दिया गया कि साबिक खसरा नम्बर 2164, 2165, 2178, 3545, 1843, 1844 कुल किता कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि भूरा पुत्र औंकार की खातेदारी में थी जिसका पट्टा ठिकाना दूनी द्वारा दिनांक 19.09.1950 को भूरा पुत्र औंकार के पक्ष में जारी किया गया है। भूरा व दुर्गालाल थे, भूरा के औलाद नही होने के कारण उसने प्रतिवादी नम्बर 1 को गोद ले लिया था, भूरा की मृत्यु के बाद उसकी समस्त सम्पति का नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर 1 नाम खुल गया था, जो नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 20.03.1964 को खोला गया था ओर उक्त नामान्तकरण वादीगण के पिता प्रेमचन्द प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 व रामेश्वरप्रसाद की सहमति से खाते गए थे। सेटलमेन्ट के बाद नए खसरा नम्बर 2381, 2484, 2482, 2502, 3850, 3851 बना दिए गए, जिसमें से खसरा नम्बर 2381, 2384, 2483, 2482, व 2502 कुल रकबा 3 बीघा भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर के नाम खोल दी गई। इस तरह प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम भूरा की खातेदारी की भूमि में से 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि कम खाते में लगायी गयी ओर इस भूमि को वादीगण के पिता प्रेमचन्द प्रतिवादी नम्बर 2 ता 4 के पिता रामेश्वर प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 के नाम लगा दी गयी। साबिक खसरा नम्बर 1844 सिरोही वाले रास्ते की जमीन इसके नए नम्बर 2158, 2159 बना दिए गए थे ओर सेटलमेन्ट के बाद नए खसरा नम्बर 2821 रकबा 1.05 हे0 बना दिए गए। उक्त भूमि को रामेश्वर, रामगोपाल, प्रेमचन्द, महावीर ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र लावा पुत्र धन्ना कीर व मोती पुत्र लावा कीर को बेच दिया, इस तरह प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता भूरा की खातेदारी की भूमि को वादीगण के पिता व रामेश्वर , रामगोपाल, महावीर ने गलत रूप से स्वयं के नाम लगाकर अन्य व्यक्ति को बेचान कर दी। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज दुर्गालाल व भूरा में काफी प्रेम था साबिक खसरा नम्बर 3545 माल की जमीन 3 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 1844 सिरोही के रास्ते

वाली जमीन 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि भूरा की खातेदारी में थी, साबिक खसरा नम्बर 2381 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि भूरा के नाम नही थी लेकिन कब्जा भूरा पुत्र औंकार का था, चूंकि प्रतिवादी नं. 1 बदरी का 8 बीघा भूमि साबिक ख. नं. 159/2 में आवंटन हो गया था जिसके नये नम्बर 249 रकबा 2.06 है0 इस कारण प्रतिवादी नं0 1 ने साबिक खसरा नं0 2381 के बदले साबिक खसरा नं0 2159, 2150, 2158, जो सम्वत 2014 के सेटलमेन्ट के पूर्व के खसरा नम्बर 1844 से बने है एवं साबिक खसरा नं0 3850, 3851 जो सम्वत 2014 के सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नं0 3545 से बने है को राजीखुशी दुर्गालाल को दे दिये थे और दुर्गालाल जी के मरने के बाद उक्त भूमि राजीखुशी प्रेंमचन्द, रामगोपाल महावीर के नाम लगा दी तथा इन लोगो ने खसरा नं0 2381 को राजीखुशी प्रतिवादी नं0 1 के नाम लगा दिया गया था। जो नामान्तकरण प्रतिवादी नं0 1 के नाम भरा गया है वह बिल्कुल राजी खुशी पंचायत द्वारा नियमानुसार भरा गया है उक्त नामान्तकरण को भरे हुए 51 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है लेकिन वादीगण द्वारा उक्त नामान्तकरण की कोई अपील भी पेश नही की गयी है। वर्तमान मे हाल खसरा नं0 5006 पर वादीगण का खसरा नं0 4672 पर प्रतिवादी नं0 5 का, खसरा नं0 4668 पर प्रतिवादी 2 ता 4 व 6 का कब्जा है तथा प्रतिवादीगण सं0 7 व 8 की शादी हो चुकी है वह अपने ससुराल मे रहती है। प्रतिवादी नं0 5 ने प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र को गोद ले लिया है तथा प्रतिवादी नं0 7 रूकमणी का पुत्र सुरेन्द्र भण्डारी पुत्र गोतम भण्डारी प्रतिवादी नं0 5 द्वारा प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र को गोद लेने से नाराज हो गया इस कारण उसने वादीगण को बहला फुसलाकर यह दावा पेश किया है।

उक्त दावे व जवाब दावे के आधार पर न्यायालय द्वारा तनकीयात बनायी गयी ओर उस पर दोनो पक्षो द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गयी।

वादीगण द्वारा पी.डब्ल्यू 1 सत्यप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 2 खान कवंर, पी.डब्ल्यू 3 बजरंगलाल का बयान कराया गया तथा प्रतिवादी द्वारा डी. डब्ल्यू 1 बदरीलाल, डी. डब्ल्यू 2 रामगोपाल, डी. डब्ल्य. 3 रामगोपाल शर्मा, डी. डब्ल्यू. 4 रामचन्द्र का बयान काराया गया, वादीगण द्वारा पी.डब्ल्यू 1 का जो बयान कराया गया है। उक्त गवाह जिस समय प्रतिवादी नं0 1 के नाम नामान्तकरण भरा गया उस समय वह पेदा ही नही हुआ था तथा उक्त गवाह को जमीन के पुराने व नये नम्बर भी याद नही है तथा दुर्गालाल पुत्र ओंकार की खातेदारी मे कौन–कौन से नम्बर थी ओर कीतनी जमीन थी उसको पता नही है। तथा नामान्तकरण सं. 42 की भी उनके द्वारा कोई अपील नही की गयी है तथा उनके द्वारा सेटलमेन्ट वालो को किसी प्रकार का प्रा0पत्र भी नही दिया गया है। इस तरह उक्त गवाह ने अपने वादपत्र की ताईदी नही की है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू 2 बजरंगलाल भी हितबद्व रिश्तेदार गवाह है इस गवाह ने भी अपनी जिरह मे जमीन के खसरा नं0 याद नही होना कहा है व बदरीलाल भरालाल के गोद चले गये इस बात का

भी पता नही है इस तरह उक्त गवाह ने भी वादपत्र की ताईद नही की है । इसी प्रकार पी.डब्ल्य. 3 गवाह मृतक प्रेमचन्द की बेवा है इसके द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया है उस पर खान कवंर के हस्ताक्षर नही है बल्कि सत्यप्रकाश के हस्ताक्षर है कि पी. डब्ल्यू–1 के भी शपथ पत्र पर उसके हस्ताक्षर नही है बल्कि खान कवंर के हस्ताक्षर है जबकि उक्त गवाह ने यह कहा है कि उन्होने पढ कर हस्ताक्षर किय थे उक्त पी.डब्ल्यू–3 ने कहा है कि उस जमीन के नये पुराने नम्बर याद नही है । दुर्गालाल जी के खाते मे कितनी जमीन थी यह भी उसको पता नही है इस तरह उक्त गवाह ने भी अपने बयानो से वाद पत्र की तायदी नही की है। प्रतिवादी बदरीलाल डी.डब्ल्यू 1 के रूप मे प्रस्तुत हुआ है जिसने भी अपने जबवा दावे की ताईदी की है तथा जवाब दावे के समर्थन मे जमाबंदी सम्वत 2070–73 प्रदर्श डी. डब्ल्यू 1, निर्णय एसीजेएम टोक दिनांक 20.4.2001 प्रदर्श डी. डब्ल्यू 2, तहसीदार जी को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श डी. डब्ल्य ू3, तहसीलदार जी दूनी द्वारा तहसीलदार जी को भेजी गयी रिपोर्ट प्रदर्श डी. डब्ल्यू 4, नामान्तकरण संख्या 90 प्रदर्श डी. डब्ल्यू 5, नामान्तकरण संख्या 42, प्रदर्श डी. डब्ल्यू 6, शपथ पत्र रामगोपाल, प्रदर्श डी. डब्ल्यू 7, राधेश्याम शपथ पत्र, प्रदर्श डी. डब्ल्यू 8, रामचन्द्र जाट शपथ पत्र प्रदर्श डी. डब्ल्यू 9, शपथ पत्र रामगोपाल शर्मा प्रदर्श डी. डब्ल्यू 10, शपथ पत्र दुर्गालाल राजोरा प्रदर्श प्रदर्श डी. डब्ल्यू 11, पंचायत दूनी का बैठक रजिस्टर की नकल प्रदर्श डी. डब्ल्यू–14, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श डी. डब्ल्यू–15 जांच रिपोर्ट पुलिस थाना रिपार्ट पी. 16 पेश की है। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जो निर्णय ए.सी.जी.एम टोंक प्रदर्श 2 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता का भूरालाल अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी नम्बर भूरालाल के गौद चला गया था। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 42 प्रदर्श डी. 6 पेश किया है, जिसमें कॉलम संख्या 14 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उक्त नामान्तकरण राजी–खुशी से भरा है ओर उक्त दस्तावेज में भी बदरीलाल पि.मु. भूरालाल लिखा हुआ है तथा नामान्तकरण संख्या 90 प्रदर्श डी 5 जो वादीगण के पिता प्रेमचन्द, रामेश्वर पसाद, रामगोपाल शर्मा, व महावीर के नाम भरा गया है। उक्त दोनो नामान्तकरण एक ही तारीख में भरे गये है ओर उक्त दोनो नामान्तकरण को भरे 51 वर्ष का समय हो चुका है ओर उनकी कोई अपील भी पेश नही की गई है तथा वादीगण ने अपने दावे में कही पर भी उक्त दोनो नामान्तकरण को शुन्य घोषित करने की अधियाचना नही चाही गयी है, वेसे भी माननीय न्यायालय को गोद का प्रश्न तय करने का कोई अधिकार नही है। पी.डब्ल्यू. 1 से जो जिरह की गयी है उसमें कही भी गवाह ने गलत बयान नही दिया है बल्कि अपने जवाब दावे की पुष्टि की है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 08 दस्तावेज प्रदर्श 7, प्रदर्श 1, प्रदर्श 9, प्रदर्श 10 व प्रदर्श डी. 11 जो पेश किये गए है उन सभी शपथ पत्रों में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि भूरालाल जी ने

बदरीलाल जी को बिरादरी के समक्ष पगडी बांधी थी ओर उनको गोद पुत्र मान लिया था वादीगण द्वारा उक्त गोद बाबत् किसी भी गवाह का बयान नही कराया गया है केवल मात्र वादीगण व पी.डब्ल्यू 3 बजरंगलाल जो इनका रिश्तेदार है कि बयान कराये है, किसी भी स्वतन्त्र गवाह के बयान नही कराये है। डी. डब्लयू 2 जो प्रतिवादी नम्बर 5 भी है ने अपने बयानों से स्पष्ट रूप से कहा है कि नामान्तकरण संख्या 40 उसकी व उसके अन्य भाईयों प्रेमचन्द, रामेश्वरप्रसाद , महावीर की रजामंदी से भरा गया है तथा जिस समय भूराजी के पगडी प्रतिवादी नम्बर 1 के बांधी जा रही थी वह वहां पर मोजूद था। इससे साफ जाहिर है कि प्रतिवादी नम्बर 1 भूरा जी का गोद पुत्र है। वादिगण द्वारा ऐसा कोई सरकारी दस्तावेज जिसमें प्रतिवादी नम्बर के पिता का नाम दुर्गालाल अंकित हो डी. डब्ल्यू 3 रामगोपाल शर्मा उम्र 80 साल डी. डब्ल्यू 4 रामचन्द्र जाट आयु 84 वर्ष भी गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए है उक्त दोनो गवाह भूरा जी के मरने के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम पगडी बंधी उस समय मोजूद थे। इस तरह प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाहो से व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नम्बर 1 भूरा का बेटा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सभी गवाहो ने अपली जिरह में यह स्पष्ट रूप सें माना है कि रामेश्वर, रामगोपाल, प्रेमचन्द, व महावीर कुमार ने साबिक खसरा नम्बर 2158, 2159, 2164, कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि लावा पुत्र धन्नालाल , मोतीलाल पुत्र लावा कीर को बेची है। इस तथ्य को छूपाते हुए वादीगण ने अपने वाद पत्र में कुछ भी नही लिखा है तथा गवाहों से भी कुछ भी नही कहलवाया है इस तरह वादीगण ने यह कही नही कहा है उनके द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान जो बेचे गए है वे भूमिं उनके पास कहा से आये है। वादीगण क्लीन हेण्ड से वादी लेकर नही आये है। वादीगण के पिता प्रेमचन्द, रामेश्वर प्रसाद, रामगोपाल व महावीर के नाम जो नामान्तकरण संख्या 90 भरा गया है उक्त जमीन को उक्त सभी व्यक्तियों ने लावा व मोती के डर से बेचान कर दिया कि कही अन्य जमीने हमारें हाथ से नही निकल जाये। वर्तमान में मेरे खाते अंकित खसरा नम्बर 3355 रकबा 0.38 है0 , खसरा नम्बर 3489 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 3391 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 3879 रकबा 0.117 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 भूमि पर गोद पुत्र के हैसियत से काबिज हूँ। अन्यत्र भूमि पर मेरा अधिकार नही है। उक्त गोद हुये सम्बंधित अचल व चल सम्पति में निर्णय करने का अधिकार सीविल कोर्ट को है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज फरमाया जावें। नामान्तकरण संख्या दिनांक 20.03.64 को दुर्गालाल के वारिसों का निर्णित हुआ जिसमें बद्रीलाल , भूरालाल जी के गोद जाने से वारिसो में बद्रीलाल का नाम अंकित नही है, जिससे सभी पक्षकारों की सहमति से बद्रीलाल के भूरालाल जी के गोद पुत्र होने की पुष्टि होती है। हिन्दू उत्ताराधिकार नियम 2005 के संशोधन के पश्चात जिन बेटियों का पिता 2005 से पूर्व मर चुका है ओर उनका विवाह हो चका है उनका अपनी पिता की सम्पति में कोई

अधिकार नही रहता है। इस तरह वादीगण ने अपना वाद मोखिक व दस्तावेज साक्ष्य से साबित नही किया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने दस्तावेज व मोखिक से यह स्पष्ट व साबित किया है कि वह भूरा जी का गोद पुत्र है केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र को गोद ले लिए जाने की रंजिश के कारण यह वाद पेश किया है जो खारीज फरमाया जावें।

लिखित बहस– प्रतिवादी संख्या 5 के अनुसार वादीगण ,द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध भी उक्त वाद पेश किया गया है और विवादित जमीन में 1/7 हिस्सा होना अंकित किया है। प्रतिवादी द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रतिवादी नम्बर 1 को भूरा जी गोद ले लिया था ओर नामान्तकरण संख्या 42 व नामान्तकरण संख्या 90 राजी खुशी नामान्तकरण संख्या 42 जो प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में भरा गया है वह प्रेमचन्द रामेश्वर प्रसाद , प्रतिवादी संख्या 5 व महावीर की सहमति से सही रूप से नियमानुसार भरे गए है। प्रतिवादी नम्बर 5 डी.डब्लू 2 के रूप में प्रस्तुत हुआ है जिसने सशपथ बयानो में स्पष्ट रूप से कहा है कि भूरा जी ने प्रतिवादी संख्या 1 को गोद ले लिया था तथा नामान्तकरण संख्या 42 राजी खुशी भरा गया है। तथा वादीगण द्वारा गलत रूप से उक्त दावा किया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 ने जो जवाब दावा प्रस्तुत किया है उसमें वादीगण द्वारा वाद पत्र में किये गये कथनो को पूर्ण रूप से नकारा है। उक्त दावा प्रतिवादी नम्बर 1 को परेशान करने की नियत से किया गया है तथा प्रतिवादी नम्बर 5 को भी प्रतिवादी नम्बर 1 को पुत्र को गोद लेने की रंजिश के कारण परेशान करने के लिए वाद प्रस्तुतकिया है उक्त गवाह ने अपनी जिरह में भी स्पष्ट रूप से कहा हैकि नामान्तकरण संख्या 90 में वर्णित आराजीयात प्रेमचन्द्र, रामेश्वर प्रसाद, महावीर व रामगोपाल के नाम लगी थी उक्त भूमि को उन्होने लावा व मोती कीर को जरिये रजि0 विक्रय पत्र बेचान कर दिए। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 मय हरजा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का विस्तृत अवलोकन किया गया, और प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए तथ्यों को समग्रतापूर्वक देखा गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है :–

तनकी नं0 1 :– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी हाल ख. नं. 3355, 3491, 3879, 4672, 5006 व ख. नं. 6214/4668 वाके ग्राम दूनी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामांतरकरण से अवैध अंकन हुआ है ? वादीगण आराजी में 1/7 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने व दुरस्ती राजस्व रिकॉर्ड के हकदार है ? **–वादीगण–**

निर्णय :– तनकी नं0 1 को साबित कराने का भार वादीपक्ष पर रहा है, इसके लिए वादी ने प्रदर्श–9 व प्रदर्श–10 भू–प्रबंध (सैटलमेन्ट) विभाग की खतोनी बंदोबस्त जमाबन्दी 2014 से .

2029 के खाता संख्या 500 व 501 कॉलम संख्या 6 में खसरा नम्बर 2381, 2483, 2484, 2502 व कॉलम संख्या 5 में दुर्गा पुत्र ओंकार ब्रहाम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिनकी हाल ,खसरा नम्बर क्रमशः 3879, 3355, ओर 3491 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–5 से स्पष्ट है परन्तु दुर्गालाल के फोत होने के बाद प्रदर्श–4 साबिक खसरा नम्बर 2381, 2483, 2484, 2502, को उसके वारिसान के नामान्तकरण में नामान्तकरण संख्या 42 में खाता संख्या 500 में बद्रीलाल पुत्र भूरा के नाम अंकित कर दिया गया। जबकि नामान्तकरण पंजिका ग्राम दूनी प्रदर्श–3 के नामान्तकरण संख्या 90 में दुर्गालाल के वारिसान में रामेश्वर प्रसाद, रामगोपाल , प्रेमचन्द व महावीर को दर्ज रिकार्ड कर दिया गया जिससे दोनो नामान्तकरण पंजिका में दुर्गालाल के वारीसों में विभेद प्रतीत होता है। सेटलमेन्ट विभाग के खसरा पत्रक सम्वत् 2013 प्रदर्श–6, 7, 8 के अनुसार भूरा पुत्र ओंकार की आराजी उसके वारिस दुर्गालाल पुत्र ओंकार के खाते में दर्ज हुई है। उक्त राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के खातेदार दुर्गालाल पुत्र औंकार जिसके वारिसान पंचायत के सजरे अनुसार रामेश्वर प्रसाद, ब्रदीलाल, रामगोपाल, प्रेमचन्द, महावीर, रूकमणी, राधा है जिसके अनुसार आराजी साबिक खसरा नम्बर 2381, 2484, 2483, व 2502 को दुर्गालाल के फौत होने के आद बद्रीलाल के नाम गलत नामन्तकरण भरा गया है ओर इसी तरह से नामान्तरकण संख्या 90 में रामेश्वर प्रसाद, गोपाल, प्रेमचन्द व महावीर का नाम है परन्तु इसमें ब्रदीलाल का नाम अंकित नही है। अतः यह नामान्तकरण भी गलत भरा गया है तथा इसमें दुर्गालाल की दोनो पुत्रियों का नाम भी दर्ज नही है। अतः वादीगण यह सिद्ध करने में सफल रहे कि उक्त आराजीयात में ग्राम पंचायत नामान्तकरण पंजिका दूनी में दोनो नामान्तकरण संख्या 42 व 90 गलत भरे गये है जबकि सजरे अनुसार दुर्गालाल के वारिसान में 7 पुत्र/पुत्रिया थी इनमें से प्रेमचन्द फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण है। अतः कानुनसम्मत व नियमानुसार दुर्गालाल की उक्त आराजी में से वादीगण 1/7 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने के हकदार है। उक्त तथ्य प्रतिवादीगण 2 ता 4 व 6 ता 8 के इक्बालिया जवाब से भी सिद्ध होता है अतः तनकी नम्बर वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 2</u> :– आये वादीगण अनुतोष वर्णित आराजी हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीगण को मजामहत न करने हेतु पाबन्द करवाने के हकदार है ? **– वादीगण –**

तनकी नम्बर 1 के निर्णयानुसार वादीगण ने 1/7 हिस्से भूमि के हकदार होना साबित होता है तथा वादीगण के अनुसार उक्त 1/7 हिस्से की भूमि पर वादीगण के कब्जे में है ओर काश्त कर रहे है। अतः इस 1/7 हिस्से की वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण को मजाहमत न करने हेतु पाबंद करवाने के हकदार है। अतः यह तनकी नं. 2 भी वादीपक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः वादी स्वयं की आवंटित भूमि पर खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी होने से तनकी नं. 2 का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण तथा वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा विधिमान्य व न्यायसंगत है ?

– प्रतिवादी संख्या 1 –

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीलाल , दुर्गालाल का जाहिंदा पुत्र है लेकिन दुर्गालाल का बडा भाई भूरा के गोद चला गया था ओर भूरा की समस्त जमीन का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खुल गया तथा उक्त आराजी का पक्षकारान का मध्य सहमति से बटवारा हो गया था। इसी आधार पर नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोला गया है। इसके पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 ने साक्ष्य शपथ पत्र व जिरह पेश की है जिसके अनुसार ब्रदीलाल, भूरालाल की गोद चला गया था , परन्तु इसको साबित करने हेतु प्रतिवादी संख्या ने कोई गोदनामा या अन्य राजकीय दस्तावेज पेश नही किए है। यद्यपि पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण में बद्रीलाल पिता भूरालाल दर्ज है परन्तु गोदनामा नही होने से संदेहास्पद प्रतीत होता है साथ ही भूरालाल के नाम कोई आराजी का रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया है जिसमें भूरालाल की सम्पति गोद पुत्र बद्रीलाल के नाम आयी हो। बद्री लाल के नाम जो भी आराजी है वो भी उसके प्राकृतिक पिता दुर्गालाल की ही है। अतः राजस्व दस्तावेजो या अन्य ठोस सरकारी दस्तावेजों से प्रमाणित नही होने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 वादीपक्ष निर्णित की जाती है।

अतः उक्त तनकीवार विवेचनानुसार दुर्गालाल के वारिसान में 07 पुत्र/पुत्रिया है/थी जिसमें प्रत्येक वारिसान 1/7 हिस्से की आराजी का हकदार है। अत नामान्तकरण संख्या 42 व 90 को निरस्त किया जाता है। जमाबन्दी संम्वत 2070–73 वाके ग्राम दूनी में दर्ज ख. नं. 4672 रकबा 0.53 है0, 5006 रकबा 0.96 है0, 6214/4668 रकबा 0.78 है0, 3355 रकबा 0.38 है0, 3491 रकबा 0.22 है0, 3879 रकबा 0.17 है0 में दर्ज आराजी भूमि में वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को 1/7 हिस्सा, तथा प्रतिवादी 5 ता 8 को प्रत्येक को 1/7 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा सभी पक्षकारान को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आपस में कोई भी किसी के भी हिस्से में कब्जे–काश्त में बाधा व मजामहत न करे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 05.04.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली